



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46935-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 140/2026

फैज़ान अहमद

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: उदय करण सकसैना (वरिष्ठ अधिवक्ता),

अनय कुमार श्रीवास्तव, दिव्या यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: राजीव सिंह, एस.सी., अशोक खरे

(वरिष्ठ अधिवक्ता), जे.पी. सिंह,

एस.के. सिंह पालीवाल, अरविन्द कुमार उपाध्याय

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-सी संख्या 39830/2025 में दिनांक 27.11.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ('अधिनियम') की धारा 40 के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 के विरुद्ध कार्रवाई की मांग हेतु दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2. अपील 45 दिन की देरी से दायर की गई है।

3. विलंब की क्षमा की प्रार्थना हेतु शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन में दर्शाए गए कारणों के आधार पर, उक्त आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। अपील दायर करने में हुई देरी माफ की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिका अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के निधियों के अभिकथित दुर्विनियोग के लिए प्रत्यर्थी संख्या 6 और 7 के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ किए जाने हेतु दायर की गई थी।

5. दलीलें प्रस्तुत की गई कि अधिनियम की धारा 40 के उपबंधों के अनुसार, राज्य कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आबद्ध था जो नहीं किया गया और इसलिए इस संबंध में निर्देश जारी किया जाए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 40 की भाषा के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जाँच याचिकाकर्ता के आवेदन पर प्रारंभ नहीं कराई जा सकती, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है और परिणामतः याचिका को भ्रामक धारणा पर आधारित मानते हुए खारिज कर दिया।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवाद के आधार पर, आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को एक आख्या (रिट याचिका का अनुलग्नक-6) भेजी है जिसमें त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

7. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 06.06.2025 की आख्या को आयुक्त द्वारा दिनांक 03.07.2025 को अग्रेषित किए जाने के पश्चात, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एक अन्य समिति नियुक्त की गई जिसने दिनांक 04.08.2025 को अपनी आख्या प्रस्तुत की, जिसके अनुसरण में दिनांक 06.06.2025 की आख्या में इंगित कथित त्रुटियों के निस्तारण के प्रयोजन हेतु दिनांक 16.01.2026 को निर्देश जारी किए गए हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य ने आयुक्त के परिवाद/आख्या के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है और अतः इस तथ्य से निरपेक्ष कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, उठाई जाने वाली दलील में कोई सार नहीं है।

8. हमने प्रस्तुत दलीलों का परीक्षण किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. जहाँ तक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत जाँच प्रारंभ किए जाने की मांग का संबंध है, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायोचित थे कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह राज्य के क्षेत्राधिकार में है कि वह अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करे अथवा नहीं और इस संबंध में कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. आयुक्त के परिवाद/आख्या के संबंध में, प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य ने आयुक्त की आख्या के आधार पर कार्रवाई की है, जिसके तहत एक अन्य समिति नियुक्त की गई जिसने दिनांक 06.06.2025 की आख्या की जाँच की और दिनांक 04.08.2025 को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की, जिसके आधार पर इंगित त्रुटियों के निस्तारण हेतु दिनांक 16.01.2026 का संप्रेषण जारी किया गया है।

11. इस मामले को देखते हुए, हमें मामले में कोई अग्रतर आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं दिखता।

12. अपील में कोई सार नहीं है, अतः यह **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

आरके/एके शुक्ला